बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

पत्रांक— प्र02 / स0बि0पा0डि0कं0लि0—35 / 2013 पटना, दिनांक —

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के पश्चात् पुनर्गठित पाँच कम्पनियों यथा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को राज्य योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जानेवाली राशि अंश पूँजी के रूप में निवेश उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग के राज्यादेश सं0—5239 दिनांक—28.11.2012 से विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठित नई पांच कम्पनियों में बोर्ड के आस्तियों, दायित्वों एवं मानव संसाधन के हस्तांतरण से संबंधित ट्रान्सफर स्कीम एवं वित्तीय पुनर्संरचना योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के उत्तराधिकारी कम्पनियों को पूंजीगत एवं कार्यशील पूँजी के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित रूप में सहायकता प्रदान करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है :—

(i) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पूँजीगत अनुदान।

(ii) शहरी क्षेत्र में अथवा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण के लिए ऋण अथवा ऋण प्राप्त करने के लिए गारंटी।

(iii) चयनित उपभोक्ता समूहों / क्षेत्रों को कम दर पर विद्युत आपूर्ति करने के चलते हो रहे घाटे की भरपाई के लिए नियमित अन्तराल पर सबसिडी का भुगतान।

(iv) कार्यशील पूँजी के रूप में वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार गारंटी उपलब्ध कराना।

2. राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति परियोजनाओं के लिए जो राशि उपलब्ध कराई जायेगी वह पूंजीगत अनुदान के रूप में नहीं मानी जायेगी बल्कि उक्त राशि को राज्य सरकार का निवेश माना जायेगा और यह निवेशित राशि अंश पूंजी होगी।

कृ0पृ0उ0

Annexure III

3. अतः राज्य सरकार–द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के पश्चात् पुनर्गठित पाँच कम्पनियों यथा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को राज्य योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जानेवाली राशि को अंश पूँजी के रूप में निवेश उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आर0 संख्या–905 दिनांक–03.06.2014 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(कामेश्वर शुक्ला)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/स0बि0पा0डि0कं0लि0–35/2013 2175 पटना, दिनांक 30/6/17

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बिहार सरकार/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0/उप महाप्रबंधक, (वित्त एवं लेखा) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग